

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, झाबुआ  
प्रधान कार्यालय -  
09-कॉलेज रोड, पिली कोठी,  
झाबुआ (म.प्र.)-457661  
फोन - 07392 245681, 243377,  
245097-98-99



Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt.,  
Jhabua  
Head Office -  
09-Collage Road, Pili Kothi,  
Jhabua (MP)-457661  
Ph : 07392 245681, 243377, 245097-98-99

- Email ID (Section Wise) -

Establishment : [jhabuaccb@gmail.com](mailto:jhabuaccb@gmail.com), [establishment1919@rediffmail.com](mailto:establishment1919@rediffmail.com)  
Field : [ccbhojhabua245097@gmail.com](mailto:ccbhojhabua245097@gmail.com), Marketing : [ccbmo@rediffmail.com](mailto:ccbmo@rediffmail.com),  
Accounts: [lekhaaccbho@gmail.com](mailto:lekhaaccbho@gmail.com), CBS : [cbsjhabua.mp@gmail.com](mailto:cbsjhabua.mp@gmail.com)

क्र./स्था/2021.22/1093

दिनांक :- 15/7/2021

### वाहन विक्रय निविदा आमंत्रण सूचना

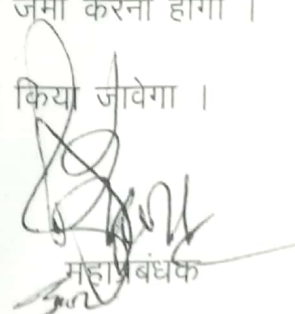
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक के निम्नलिखित वाहन का विक्रय किया जाना है .  
वाहन विक्रय हेतु सार्वजनिक खुली नीलामी दिनांक 28.07.2021 को दोपहर 3.00 बजे से प्रधान कार्यालय  
9 ए.एल.पारीक कालेज मार्ग झाबुआ में प्रारंभ की जावेगी ।

| क्रं | वाहन का विवरण       | वाहन की आफसेट प्राईज |
|------|---------------------|----------------------|
| 1    | इनोवा MP-09 CL 4523 | 475000/-             |

इच्छुक व्यक्ति सार्वजनिक नीलामी में बोली लगाने हेतु नियत दिनांक 28.07.2021 तक अर्नेस्ट  
मनी राशि 25000/- (पच्चीस हजार ) बैंक की मुख्य शाखा झाबुआ (पीलाकोठी) में जमा कराकर  
नीलामी के पूर्व जमा प्रमाणक प्रस्तुत कर नीलामी में भाग ले सकते हैं।

### वाहन विक्रय की शर्त :-

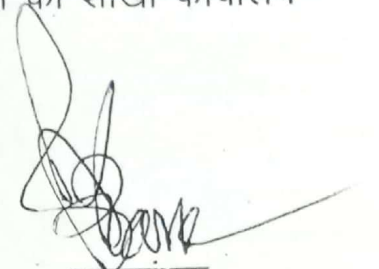
- 1- वाहन बैंक परिसर में जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में विक्रय किया जावेगा ।
- 2- वाहन का अवलोकन कार्यकारी दिवस एवं कार्यालयीन समय में किया जा सकेगा ।
- 3- बैंक द्वारा निविदा/अंतिम बोली स्वीकृत करने पर संबंधित व्यक्ति को 25 प्रतिशत राशि 24 घंटे में जमा करना होगी तथा शेष राशि बिक्री दिनांक के 7 दिन में जमा कर वाहन का अधिपत्य लेना होगा । उल्लंघन की स्थिति में अर्नेस्ट मनी हेतु जमा करवाई गई समस्त राशि बैंक द्वारा राजसात कर ली जावेगी ।
- 4- वाहन का नामांतरण, टैक्स, बीमा आदि अन्य समस्त व्यय क्रेता को ही वहन करना होगा ।
- 5- वाहन क्रेता को समस्त राशि डीडी/नगद से बैंक में निर्धारित समयावधि जमा करना होगी ।
- 6- सशर्त निविदा/बोली स्वीकार नहीं की जावेगी ।
- 7- बैंक वाहन का विक्रय किसी भी दशा में आफसेट प्राईज से कम पर नहीं किया जावेगा ।
- 8- बैंक को नीलामी स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

  
महामंडल

क्र./स्था/2021.22 / 1093A  
प्रतिलिपी :-

दिनांक :- 15/07/2021

- 1- आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म.प्र. भोपाल ।
- 2- प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल ।
- 3- संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ इन्दौर संभाग इन्दौर ।
- 4- प्रशासक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या झाबुआ ।
- 5- शाखा प्रबंधक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. इन्दौर ।
- 6- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.....समस्त म.प्र
- 7- उपायुक्त सहकारिता जिला झाबुआ/अलीराजपुर ।
- 8- शाखा प्रबंधक शाखा .....समस्त की ओर वाहन विक्रय सूचना को शाखा कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु ।
- 9- कक्ष प्रमुख .....समस्त प्र.का. झाबुआ ।
- 10- वाहन नस्ती ।



महाप्रबंधक  
Jaw